अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
मूल	*Original*	*117,72,00*		*137,72,00*	*134,71,74*	*-3,00,26*
पूरक	*Supplementary*	*20,00,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	50474,60,00		50474,70,00	42342,19,03	-8132,50,97
पूरक	Supplementary	10,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7908,39,59
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
मूल	*Original*	*38,23,00*		*42,32,00*	*40,93,75*	*-1,38,25*
पूरक	*Supplementary*	*4,09,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	29568,05,00		30268,08,00	30009,45,51	-258,62,49
पूरक	Supplementary	700,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					199,91,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, समग्र बचतें (*₹ 300.26 लाख*) दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए *₹2000.00 लाख* के पूरक *विनियोग* की 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* की 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 300.26 lakhs*) constituted 15 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 2000.00 lakhs* obtained in December, 2023 and 2 percent of total sanctioned *appropriation*.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	*10572.00*	*125672.00*	*12444.66*	*-127.34*
पू.	S.	*2000.00*			

(I) "अन्य आवासन – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" के अन्तर्गत *₹7681.00 लाख* का मूल प्रावधान *₹ 2000.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके *₹ 9681.00 लाख* तक बढ़ाया गया जो, विभिन्न स्थापनों के रखरखाव/मरम्मत के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और राष्ट्रपति भवन के गार्डन और राष्ट्रपति सम्पदा प्रभाग के अन्तर्गत पी. ई. डी. और पी. ई. ई. डी . में जी. ई. एम. से खरीद कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण *₹992.31 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - the original *appropriation* of *₹ 7681.00 lakhs* was augmented to *₹ 9681.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹ 2000.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *₹ 992.31 lakhs* - due to less requirement of funds towards maintenance/repairs of various establishment and non-materialization of purchase from GeM in President's Garden and PED & PEED under President's Estate Division.

(2) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (*₹ 1010.00 लाख*) प्रयुक्त हो गईं, जैसाकि "अन्य आवासन – निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रपति संपदा स्थापना – उद्यान" के अन्तर्गत *₹ 2000.00 लाख* का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर

2. The above savings were partly (*₹ 1010.00 lakhs*) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary *appropriation* of *₹2000.00 lakhs* under "Other Housing - Direction and

दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, *₹899.27 लाख* था।

Administration - President Estate Establishment - Gardens". Actual excess, however, was *₹ 899.27 lakhs.*

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई/हुएः–

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	13675.00			
पू.	S.	1.00	13425.99	12456.23	-969.76
पु.	R.	-250.01			
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"				
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	26840.00			
पू.	S.	1.00	25680.38	23316.07	-2364.31
पु.	R.	-1160.62			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	215310.00			
पू.	S.	1.00	210100.65	205067.24	-5033.41
पु.	R.	-5210.35			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	314598.00			
पू.	S.	1.00	300249.22	296734.01	-3515.21
पु.	R.	-14349.78			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	112647.00			
पू.	S.	2.00	102055.74	98533.07	-3522.67
पु.	R.	-10593.26			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	116500.00			
पू.	S.	1.00	24.25	..	-24.25
पु.	R.	-116476.75			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक कार्य	Other General Economic Services				
मू.	O.	46801.00			
पू.	S.	1.00	48490.80	45347.80	-3143.00
पु.	R.	1688.80			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4067145.00			
पू.	S.	1.00	3462966.86	3459131.03	-3835.83
पु.	R.	-604179.14			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	133801.00			
पू.	S.	1.00	93574.52	93571.76	-2.76
पु.	R.	-40227.48			

(I) दस शीर्षों के अन्तर्गत ₹122839.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹122601.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध थेः–

(I) Provision of ₹122839.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹122601.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – शहरी परिवहन योजना और शहरी परिवहन (घरेलू स्रोतों) में क्षमता निर्माण" – ₹6101.00 लाख योजना की समाप्ति के कारण।

(A) Major Head "2217" - "General - Direction and Administration - Urban Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport (Domestic Sources)"- ₹6101.00 lakhs - due to expiry of tenure of the Scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "शहरी आवासन – अन्य अनुदान –प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹41500.00 लाख;

(ख) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा – स्वच्छ भारत मिशन (एस. बी. एम.)" – ₹50000.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹215000.00 लाख; और

(घ) "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹10000.00 लाख।

(B) Major Head "2552" -

(a) "Urban Housing - Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹41500.00 lakhs;

(b) "Central Assistance/Share - Swachh Bharat Mission (SBM)" - ₹50000.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹15000.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹10000.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों के कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आवासन और शहरी कार्य" के अन्तर्गत – ₹1219.77 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13676.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और पश्चिम बंगाल सूक्ष्म लघु उद्यमों (एमएसएमएसई) सुविधा केंद्र परिषद के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय लम्बित रहने के कारण

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat-Housing and Urban Affairs"- saving of ₹1219.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13676.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant posts and pending decision on the directions of Hon'ble court on the order of West

हुई।

Bengal Micro Small Enterprises (MSMSE) Facilitation Council.

(III) मुख्य शीर्ष "2058" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(III) Under Major Head "2058"- savings occurred under the following heads:-

(का) "लेखन–सामग्री स्टोरों की खरीद और आपूर्ति – लेखन – सामग्री नियंत्रक" – ₹750.28 लाख की बचत (₹6550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, चिकित्सा व्ययों, एल. टी. सी., टी. ए. के कम संख्या में दावे प्राप्त होने, किराए के लिए दावों की प्राप्ति नहीं होने, एल. ए. एन. प्रणाली की खरीद प्रक्रिया के पूरा नहीं होने और टेंडरों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery" - saving of ₹750.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims for medical expenses, LTC, TA, non-receipt of claims for rentals, non-completion of the process of purchase LAN system and non-finalization of tenders.

(खा) "सरकारी मुद्रणालय – मुद्रण और मुद्रण प्रेस निदेशालय" – ₹3037.97 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18131.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पद नहीं भरे जाने, पेपर की खरीद के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम मात्रा में स्थापना संबंधी व्यय होने के कारण हुई।

(B) "Government Presses - Directorate of Printing and Printing Presses" - saving of ₹3037.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18131.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for procurement of paper and less establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" के तहत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई।

(IV) Under Major Head "2059" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹4147.13 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12551.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य प्रभारित स्टाफ की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(A) "Office Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹4147.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12551.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant post owing to retirement of work- charged staff.

(खा) "अन्य भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1610.98 लाख की बचत (₹7000.00 लाख) के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Other Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹1610.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);

(गा) "सामान्य" –

(C) "General" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" -

(i) "निष्पादन" – ₹1361.83 लाख की बचत (₹5068.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "सी. पी. डब्ल्यू. डी. स्थापना" – ₹8864.49 लाख की बचत (₹121799.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत बचतें कार्य–प्रभारित स्टाफ की सेवानिवृत्ति के कारण हुए रिक्त हुए पदों को नहीं भरे जाने और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय – अन्य समाधियों का रखरखाव" – ₹785.40 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समाधि परिसर में सी. आई. एस. एफ. जनशक्ति की तैनाती के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2216" के तहत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "शहरी आवासन" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹515.27 लाख की बचत (₹986.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी. एम. ए. वाई. योजना के तहत वेतन और भत्तों के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹18506.04 लाख की बचत (₹201853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल विहीन) से परियोजनाओं की कम मांग होने, सी. एल. एस. एस. वर्टिकल के अन्तर्गत एल एच पी./ डी. एच. पी. परियोजनाओं तथा प्रशासनिक प्रभारों को सी. एन. ओ. को देने और आर. ई. आर. ए. (रेरा)

(i) "Execution" - saving of ₹1361.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5068.00 lakhs); and

(ii) "CPWD Establishment" - saving of ₹8864.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121799.43 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant post owing to retirement of work charged staff and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(b) "Other Expenditure - Maintenance of Other Samadhis"- saving of ₹785.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards CISF manpower deployment at Samadhi Complex.

(V) Under Major Head "2216" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Housing" -

(a) "Direction and Administration - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)"- saving of ₹515.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹986.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and allowances under PMAY scheme.

(b) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹18506.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹201853.00 lakhs) was due to less demand from UTs (without legislature) for sanctioned projects under the scheme, less requirement for capacity building activities, LHP/DHP projects and administrative

के लिए कार्यशालाओं का निष्पादन नहीं होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य मूल आवास" –

(क) "रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹4191.03 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य–प्रभारित स्टाफ की सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय – सम्पदा निदेशालय" – ₹1103.63 लाख की बचत (₹4916.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में एलटीसी के दावे प्राप्त होने, डी. बी. एम. एस. सॉफ्टवेयर की खरीद नहीं किए जाने, गैर–निष्पादन, जी. आई. टैगिंग परियोजना को मंजूरी नहीं मिलने और सरकारी अतिथि गृहों और एन. डी. एम. सी. द्वारा 16वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान कमरों के किराए के संशोधित बिलों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) "अन्य आवासन – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹525.09 लाख की बचत (₹7600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2217" के अन्तर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – स्थानीय निकायों, निगमों शहरी विकास प्राधिकरणों, शहर सुधार बोर्डों आदि – एन. सी. आर. प्लानिंग बोर्ड को सहायता" – ₹1010.00 लाख की बचत (₹6510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहभागी एन. सी.आर. राज्यों से कम संख्या में दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य शहरी विकास योजनाएं" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन" –

charges under CLSS vertical to CNAs and non-execution of workshops for RERA.

(B) "General Pool Accommodation" -

(a) "Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹4191.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to the retirement of work charged staff.

(b) "Other Expenditure - Directorate of Estates" - saving of ₹1103.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4916.00 lakhs) was due to receipt of less LTC claims, non-procurement of DBMS software, non-executions, non-approval of GI tagging project and non-receipt of bills for revised room rental by state Guest Houses and NDMC during 16th Lok Sabha term.

(C) "Other Housing-Maintenance and Repairs-Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹525.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7600.00 lakhs) was due to decrease in number of staff.

(VI) Under Major Head "2217" - savings occurred under the following heads:-

(A) "National Capital Region-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards Etc. - N.C.R Planning Board" saving of ₹1010.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6510.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the participating NCR States.

(B) "Other Urban Development Schemes" -

(a) "Direction and Administration - Swachh

₹9299.97 लाख की बचत (₹21147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलापों/मीडिया कैंपेन की धीमी प्रगति के कारण विज्ञापन और प्रचार–प्रसार के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने, क्षमता निर्माण के कारण हुई।

Bharat Mission" - saving of ₹9299.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21147.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement and publicity owing to slow progress of activities/media campaign capacity building and non-receipt of complete proposals.

(ख) "स्थानीय निकाय, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, शहर सुधार बोर्ड आदि – शहरी नवीकरण मिशन – 500 अधिवास (ए. एम.आर. यू. टी.) को सहायता" – ₹13272.23 लाख (₹23700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने और प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और स्थापना से संबंधित व्यय के लिए संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल विहीन) से कम संख्या में दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc." - Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹13272.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23700.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and receipt of less claims towards Administrative and Office Expenses and establishment related expenditure from UTs (without legislature).

(VII) मुख्य शीर्ष "3475" – "शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – पी. एम. – स्वनिधि – स्ट्रीट वेंडर के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा" के अन्तर्गत – ₹2335.84 लाख की बचत (₹46800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिचय बोर्डों के लिए टेंडरों और पी. एम. स्वनिधि लाभार्थियों को पत्रों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programmes - PM-SVANidhi-Special Micro Credit Facility for Street Vendors" - saving of ₹2335.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46800.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for Parichay Boards and letters to PM SVANidhi beneficiaries.

(VIII) मुख्य शीर्ष "2601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:–

(VIII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹170948.55 लाख की बचत (₹65853.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(a) "Swachh Bharat Mission" - saving of ₹170948.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹365853.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from State Governments.

(ख) "100 स्मार्ट शहरों का मिशन" – ₹15349.00 लाख की बचत (₹722188.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(b) "Mission For 100 Smart Cities" - saving of ₹15349.00 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने, स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति और हुबली – धारवाड़ स्मार्ट शहरों के लिए निधियों के जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ग) "शहरी नवीकरण मिशन – 500 अधिवास (ए. एम. आर. यू. टी.)" – ₹214202.91 लाख की बचत (₹745940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले निर्गतों के अव्ययित एस. एन. ए. की शेष राशि की उपलब्धता के कारण राज्यों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹217907.49 लाख की बचत (₹1723162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹32185.00 लाख की बचत (₹400001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप–योजना – शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹6165.01 लाख की बचत (₹110001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत बचतें प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी के योजना दिशा–निर्देशों में परिकल्पित अनुपालन के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता की कम मांग होने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹30523.00 लाख की बचत (₹63000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के गाजीपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा

provision of ₹722188.00 lakhs) was due to receipt of less proposal from the States, slow pace of implementation of projects of Smart Cities Mission and non-release of funds to Hubbili-Dharwad Smart Cities.

(c) "Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹214202.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹745940.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the States owing to availability of unspent SNA balances of previous releases.

(d) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹217907.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1723162.00 lakhs) was due to non-utilization of funds by States owing to non-compliance of scheme guidelines.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Urban Housing - Other Grants" - saving of ₹32185.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400001.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Urban Housing - Other Grants" - saving of ₹6165.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110001.00 lakhs).

Savings under above two heads were due to less demand of Central Assistance in sanctioned projects as per compliance envisaged in the scheme guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban.

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Swachh Bharat Mission" - saving of ₹30523.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63000.00 lakhs) was due to delay in submission of

केंद्र के लिए कार्य योजना को प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

Action Plan for Waste to Energy facility at Ghazipur by UT of Delhi.

(खा) "शहरी नवीकरण मिशन 500 अधिवास (ए. एम. आर. यू. टी.)" – ₹13441.30 लाख की बचत (₹30700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस. एन. ए. की शेष राशि की उपलब्धता के कारण विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से निधियों की कम मात्रा में आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Urban Rejuvenation Mission 500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹13441.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30700.00 lakhs) was due to requirement of less funds from UTs with legislature owing to availability of SNA balance.

(X) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹275.70 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(X) Under one head saving of ₹275.70 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹70347.70 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹6.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

4.(I) The above savings were partly (₹70347.70 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹6.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – अन्य व्यय – भूमि और विकास कार्यालय" – ₹753.40 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹267.27 लाख था।

(A) Major Head "2059" - "General - Other Expenditure - Land and Development Office" - ₹753.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹267.27 lakhs.

(का) मुख्य शीर्ष "2217" –

(क) "अन्य शहरी विकास योजनाएं – स्थानीय निकायो, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, शहर सुधार बोर्ड आदि – मिशन फॉर 100 स्मार्ट सिटी" – ₹11779.50 लाख। हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10544.06 लाख हुआ।

(ख) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – परिवहन प्लानिंग और मेट्रो और गैर–मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण" – ₹5652.00 लाख। हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5636.25 लाख हुआ।

(B) Major Head "2217" -

(a) "Other Urban Development Schemes - Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc - Mission for 100 Smart Cities" - ₹11779.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹10544.06 lakhs.

(b) "General-Direction and Administration-Transport Planning and Capacity Building in Urban Transport for Metro and Non-Metro Projects"- ₹5652.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5636.25 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" – "शहरी उन्मुख रोजगार

(C) Major Head "3475" - "Urban Oriented

कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹1688.80 लाख। हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹881.64 लाख हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शहरी (आजीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.)" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.)" – ₹36674.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹35679.61 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.)" – ₹11272.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹10967.40 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.) – ₹2154.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2095.99 लाख था।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शहरी (आजीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.)" – ₹374.00 लाख। हालांकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹373.00 लाख हुआ।

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई थीं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "कार्यालय भवन" –

(क) "रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹4209.52 लाख का अधिक व्यय (₹23050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चल रहे कार्यों, कार्यालय भवनों, निरीक्षण बंगलों, गेस्ट हाउसों और संविदा स्टाफ के वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Employment Programmes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)"- ₹1688.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹881.64 lakhs.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" -

(a) "Control Assistance/Share - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹36674.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹35679.61 lakhs.

(b) "Special Complement Plan for Scheduled Castes - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹11272.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10967.40 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹2154.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2095.99 lakhs.

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹374.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹373.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2059" - "Office Buildings" -

(a) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹4209.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23050.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing works, maintenance of office buildings inspection bungalows, guest houses and payment of contractual staff's salary.

(ख) "लीज प्रभार – स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों और करों का भुगतान" – ₹1344.00 लाख का अधिक व्यय (₹23000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगरपालिका निगम/दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को किराए, सेवा प्रभारों, विद्युत और जल प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास" –

(क) "रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹6533.48 लाख का अधिक व्यय (₹55835.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामान्य पूल के आवासीय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य व्यय – भवन – लीज प्रभार" – ₹781.47 लाख का अधिक व्यय (₹21355.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगरपालिका निगम/दक्षिण दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड को सेवा प्रभारों, विद्युत और जल प्रभारों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – मिशन फॉर 100 स्मार्ट सिटी" – ₹3199.00 लाख का अधिक व्यय (₹32601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – पुदुचेरी को अपेक्षित निधियों को जारी किए जाने के कारण हुआ क्योंकि इस शहर ने नवोन्मेष, एकीकरण और धारणीयता के लिए शहरी निवेश कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति बढ़ा दी।

(III) दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹788.59 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक था लेकिन

(b) "Lease Charges - Payments of Rent, Rates and Taxes to Local bodies Etc." - excess of ₹1344.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards rent, service charges, electricity and water charges to New Delhi Municipal Corporation/South Delhi Municipal Corporation and Delhi Jal Board.

(B) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation" -

(a) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹6533.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55835.07 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs of General Pool Residential Accommodation.

(b) "Other Expenditure - Buildings-Lease Charges" - excess of ₹781.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21355.93 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of service charges, electricity and water charges to New Delhi Municipal Corporation/South Delhi Municipal Corporation and Delhi Jal Board.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Mission for 100 Smart Cities"- excess of ₹3199.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32601.00 lakhs) was due to funds required for release to Puducherry as the city enhanced the pace of implementation of City Investment to Innovate, Integrate and Sustain programmes.

(III) Under two heads excess of ₹788.59 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not

₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत और 46 प्रतिशत तक था।

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent and 46 percent of the sanctioned provision.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, समग्र बचतें (*₹ 138.25 लाख*) दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए *₹409.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 34 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 3 प्रतिशत था।

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹ 138.25 lakhs*) constituted 34 percent of the supplementary *appropriation* of *₹409.00 lakhs* obtained in December, 2023 and constituted 3 percent of total sanctioned *appropriation.*

(I) दो शीर्षों के अन्तर्गत *₹100.00 लाख* का *विनियोग* पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹ 100.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹25862.49 लाख, दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹70003.00 लाख के पूरक अनुदान की 37 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान की करीब 1 प्रतिशत थी।

6. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹25862.49 lakhs) constituted 37 percent of the supplementary grants of ₹70003.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and nearly 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई/हुए:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन–सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	7167.00			
पू.	S.	1.00	2718.00	2649.99	-68.01
पु.	R.	-4450.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	213313.00			
पू.	S.	36701.00	245549.00	240453.33	-5095.67
पु.	R.	-4465.00			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	62960.00			
पू.	S.	33301.00	98092.00	97666.58	-425.42
पु.	R.	1831.00			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	814515.00			
			808198.00	807944.71	-253.29
पु.	R.	-6317.00			
मुख्य शीर्ष "6217"	Major Head "6217"				
शहरी विकास के लिए कर्ज	Loans for Urban Development				
मू.	O.	1858500.00			
			1852000.00	1852000.00	..
पु.	R.	-6500.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश – हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)" के अन्तर्गत एक मामले में ₹6000.00 लाख का प्रावधान – एचपीआईएल के पक्ष में भूमि के नामांतरण के लिए राज्यों में विभिन्न राजस्व प्राधिकारियों से मांग के प्राप्त नहीं होने के

(I) Provision of ₹6000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Investment in Public Sector and Other Undertakings - Hemisphere Properties India Limited (HPIL)" - due to non-receipt of demand from various revenue

कारण पूर्ण रूप से अनुप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन" के अन्तर्गत – ₹45200.00 लाख का मूल प्रावधान ₹36700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹81900.00 तक बढाया गया था जो हालांकि मैसर्स ई. सी. आई. एल., हैदराबद द्वारा "नए संसद भवन को सीबीआरएम के खतरों से सुरक्षा प्रणाली" से संबंधित चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति के कारण ₹4701.59 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी प्रेस – मुद्रण प्रेसों" के अन्तर्गत – ₹4400.03 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीआईपी, कोलकता और जीआईपी, नासिक के लिए मशीनरी की खरीद के पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – निर्माण – भवन" के अन्तर्गत – ₹23494.05 लाख की बचत (₹165350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. पी. डब्ल्यू. डी. और मै. ई.सी.आई.एल. के बीच हुए समझौते के अनुसार मैसर्स ई. सी. आई. एल. को अग्रिम भुगतान के निर्गत नहीं किए जाने, टेन्डर की प्रक्रिया, भूमि के कब्जे, परियोजना के लिए मंजूरी में विलंब होने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जी–20 के दौरान प्रतिबंध लगाने के कारण परियोजना पूरी नहीं होने और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेड़ों के प्रत्यारोपण संबंधी कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने के कारण केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सी. एस. एस. 13) की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "6217" – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एम. आर. टी. एस. और मेट्रो परियोजनायें" के अंतर्गत – ₹6500.00 लाख की बचत (₹1504700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भोपाल, इंदौर और पटना मेट्रो परियोजनाओं के पास थ्रू सहायता के अन्तर्गत कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

authorities in States towards mutation of land in favour of HPIL.

(II) Under Major Head "4059"- "General - Construction - Office Building of Other Ministries/Department" - the original provision of ₹45200.00 lakhs was augmented to ₹81900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹36700.00 lakhs which, however remained unutilized to the extent of ₹4701.59 lakhs - due to slow progress of ongoing works pertaining to "Protection System for CBRN threats to New Parliament Building" by M/s ECIL, Hyderabad.

(III) Under Major Head "4058" - "Government Presses - Printing Presses" - saving of ₹4400.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-completion of procurement of machinery to GIP, Kolkata and GIP, Nasik.

(IV) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Buildings" - saving of ₹23494.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹165350.00 lakhs) was due to non-release of advance payment to M/S ECIL as per agreement between CPWD and M/S ECIL, delay in tendering process, land occupation, approval of project and non-completion of project owing to restriction imposed during G-20 by Pollution Control Board and slow progress of Centrally Sponsored Scheme (CSS-13) was due to Hon'ble High Court Stay on transplantation of tree activity.

(V) Under Major Head "6217"- "Other Urban Development Schemes - Loan to Public Sector and other undertakings - MRTS and Metro Projects" - saving of ₹6500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1504700.00 lakhs) was due to less demand under Pass Through Assistance from Bhopal, Indore and Patna metro projects.

(VI) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹253.29 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 49 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹253.29 lakhs occurred constituting 49 percent of the sanctioned provision.

7. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹20629.00 लाख) पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हुईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹70002.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले की सूचित कर दिया गया था:–

7. The above savings were partly (₹20629.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹70002.00 lakhs under the following major heads: -

(I) मुख्य शीर्ष "4059" –

(I) Major Head "4059" -

(का) "अन्य भवन – निर्माण – जे. आई. सी. ए. द्वारा आई. सी. सी. सी. वाराणसी के लिए ई. ए. पी." – ₹1735.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹17349.26 लाख था।

(A) "Other Buildings - Construction - EAP for ICCC Varanasi by JICA" - ₹1735.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17349.26 lakhs.

(खा) "सामान्य – निर्माण – खान" – ₹1448.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1395.73 लाख था।

(B) "General - Construction - Mines" - ₹1448.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1395.73 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सामान्य पूल आवास – शहरी विकास–निर्माण" – ₹1831.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1481.81 लाख था।

(II) Major Head "4216" - "Government Residential Building - General Pool Accommodation - Urban Development - Construction" - ₹1831.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1481.81 lakhs.

8- ***सरकारी गैर–वाणिज्यिक विभाग की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि:–***

8. *Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-*

सयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर की नवीकरण और प्रतिस्थापना के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक प्रथा का आरंभ करने के लिए सरकारी (गैर–वाणिज्यिक विभाग) मूल्य ह्रास निधि की स्थापना की गई थी ताकि प्रेस को स्वतः ही दक्ष चालू स्थिति में रखा जा सके। मूल्य ह्रास की गणना आस्तियों के मूल्य के आधार पर की जाती है जो प्रेस के आउटटर्न उत्पादन में प्रयोग की गई थी। निधि में तदनुसार सामान्य टूट–फूट में प्रयुक्त हुई पूंजी के प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त धनराशि होगी। वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास की वास्तविक धनराशि की गणना के आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष में लेखाओं के समापन से तुरंत पहले निधि को जमा किए जाने के कारण निधि को सरकारी लेखों और प्राप्तियों में जमा माना जाएगा। विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर बजट प्रावधान किया जाता है।

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a sufficient reserve fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the

actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

सरकारी प्रेसों में मूल्य ह्रास निधि के नियमों के नियम 4 के अनुसार, समय–समय पर उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज निधि में इस तथ्य के कारण जमा नहीं किया जाएगा कि सरकारी प्रेसों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना शामिल है, जो मूल पूंजीगत मूल्य पर आधारित नहीं होती बल्कि केवल मूल्य ह्रास पूंजीगत मूल्य पर होती है। इसके अलावा उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय सर्वप्रथम उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध होना चाहिए और वर्ष के अंत के जमा शीर्ष मूल्य ह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को समतुल्य राशि अंतरित की जाएगी।

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

सरकारी (गैर–वाणिज्यिक विभाग) के मूल्य ह्रास आरक्षित निधि का लेखा 2023–24 के लिए निम्न अनुसार थाः–

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2023-2024 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	51,24,83
प्राप्तियां	Receipt	1,62,62
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	52,87,45